# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
# जिला राजसमंद

**पीठासीन अधिकारी** :– श्री गोविन्दसिंह आर.ए.एस.
**पत्रावली संख्या.** 85 / 2024
**किस्म** :– **वाद**
**दायर दिनांक** : 02.08.2024 **निर्णय दिनांक** : 06.05.2025

**उनवान**

1. कालूसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपुत निवासी सिरोडी तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद

–:बनाम:–

1. अभयसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपुत
2. उगाकंवर पुत्री सरदारसिंह जाति राजपुत
3. कैलाशकंवर पुत्री सरदारसिंह जाति राजपुत
4. बाघसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपुत
5. भगवतसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपुत
6. मोरकंवर पुत्री सरदारसिंह जाति राजपुत
7. मोहरबाई पत्नी इन्द्रसिंह जाति राजपुत

सभी निवासीयान सिरोडी तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद प्रतिवादीगण

**दावा** :– वाद अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. 1955
**वादी की ओर से** :– **अधिवक्ता सत्यनारायण व्यास**
**प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से** :– **अधिवक्ता संदीप वैष्णव**
**प्रतिवादी संख्या 01,03,05,06,07 की ओर से**:– **अधिवक्ता गोपाल शर्मा**

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सिरोडी, पटवार हल्का सियाणा तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद के खाता संख्या नया 25 पुराना 33 के आराजी नम्बर 205मी., 666मी., 667मी., 671मी. कुल किता 04 रकबा 0.0850 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त शामलाती खातेदारी की कृषि भूमिया स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमियो के अलावा वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त शामलाती खातेदारी की अन्य कृषि भूमिया भी थी, जो वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा करा कर अपने अपने हिस्से मे आई भूमियो को अपने अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड मे अंकन करा दिया है। उक्त आपसी सहमति विभाजन वर्ष 2010 में किया गया था, तब से वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक, हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से वर्ष 2010 में बंटवारा कराया गया था उस समय वाद उक्त वर्णित कृषि भूमियो को रास्ते के लिए संयुक्त रूप से छोडा गया था तथा उक्त

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

विभाजन के अनुसार उक्त वर्णित कृषि भूमियो को राजस्व रेकार्ड मे किस्म रास्ते के रूप अंकन करना था, जिस हेतु वादी एवं प्रतिवादीगण भी पूर्णरूप से सहमत थे, किन्तु वाद उक्त वर्णित कृषि भूमियो की किस्म रास्ता अंकन नही होने से एवं उक्त भूमियो संयुक्त, शामलाती रूप से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज रह गई। उक्त वर्णित कृषि भूमियो का वादी एवं प्रतिवादीगण वर्ष 2010 से आपसी सहमति से कराये गये बंटवारे के अनुसार ही रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, किन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे किस्म रास्ता अंकन नही होने से प्रतिवादीगण आये दिन उक्त रास्ते की भूमि को बन्द कर देते है जिससे रास्ता अवरूद्ध हो जाता है एवं वादी अपने हिस्से मे आई कृषि भूमियो पर आने जाने से तथा उपयोग उपभोग करने से वंचित हो जाता है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 31.05.2024 को उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर बन्द कर दिया था जिस पर वादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय आमेट के यहां उक्त रास्ता खुलवाने के संबंध मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर पटवार हल्का सियाणा द्वारा पर्चा मौका बनाया गया एवं उक्त पर्चे मौके मे भी वाद पत्र की पेरा संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि का उपयोग रास्ते के रूप होना अंकन किया गया है। वर्ष 2010 में आपसी सहमति से किये गये बंटवारे अनुसार वादग्रस्त भूमि की किस्म रास्ता अंकन किया जाना था, किन्तु त्रुटीवश उक्त भूमि को रास्ते के रूप में अंकन नही किया गया एवं उक्त भूमि को वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त रूप से खातेदारी मे रख दी गई, जब कि उक्त भूमि का उपयोग उपभोग रास्ते के रूप मे ही किया जा रहा है। मात्र राजस्व रेकार्ड मे संयुक्त शामलाती रूप से अंकन होने से एवं किस्त रास्ता दर्ज नही होने से प्रतिवादीगण आये दिन रास्ता अवरूद्ध कर बन्द कर देते है, इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणात्मक डिकी प्रचलित फरमाया जाना आवश्यक हो गया है कि उक्त वर्णित भूमियां शामलाती रास्ते की भूमि है, तद्नुसार राजस्व रेकार्ड मे किस्म रास्ता का अंकन किया जावे। वाद हेतुक दिनांक 31.05.2024 को जब प्रतिवादीगण द्वारा उक्त शामलाती रास्ते की भूमियो अवरूद्ध कर रास्ता बन्द करने से उत्पन्न होकर लगातार जारी है। वादग्रस्त भूमियां ग्राम सिरोडी पटवार हल्का सियाणा तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद मे स्थित होने से वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार आप न्यायालय को प्राप्त है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर घोषणा की डिकी प्रचलित फरमाई जावे कि उक्त वर्णित कृषि भूमिया संयुक्त शामलाती रास्ते की भूमियां है, तद्नुसार राजस्व रेकार्ड मे किस्म रास्ता अंकन किया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01, 03, 05, 06, 07 की तरफ से अधिवक्ता गोपाल शर्मा एवं प्रतिवादी संख्या 04 की तरफ से अधिवक्ता संदीप वैष्णव ने वकालत नामा पेश किया। दिनांक 25.02.2025 को वादी अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध कार्यवाही नही चाहने बाबत् आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी। प्रतिवादी संख्या 04 के अधिवक्ता ने आदेश 07 नियम 11

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा वाद में घोषणा एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन कि दाद चाही गई है, जब कि वादग्रस्त भुमिया शामलसती होकर वेध रुप से खातेदारों के मध्य बंटवारा नही हुआ है, जब तक वादग्रस्त भुमियों का नियमनानुसार बंटवारा होकर अलग अलग खाते इर्ज नही हो जाती है तब कि उक्त भुमियो के सम्बन्ध मे घोषणा का वाद पेश नही किया जा सकता। इसलिए वादी का वाद चलने योग्य नही है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रतिवादगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावें। वादी अधिवक्ता ने आदेश 07 नियम 11 प्रार्थना पत्र का जवाब नही देकर सीधी बहस की। दोनो पक्षो के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दोनो पक्षों के अधिवक्तागण की बहस में दिए गए उजरात व प्रस्तुत न्यायिक दलिलों पर मनन किया गया। वादी ने घोषणा हेतु उक्त वाद पेश किया है। आदेश 07 नियम 11 (वाद पत्र का नामंजूर किया जाना) में प्रावधान इस प्रकार है–

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है,

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने मे असफल रहता है,

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है, किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने मे असफल रहता है,

(घ) जहां वाद पत्र मे के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

(ड) जहां यह दो प्रतियो मे फाइल नही किया जाता है,

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबंधो का अनुपालन करने मे असफल रहता है।

अतः प्रतिवादी संख्या 04 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 07 नियम 11 के उक्त बिन्दुओं के अधीन नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नही करने पर जवाब प्रतिवादी बन्द किया गया। तहसीलदार सरदारगढ ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम पर संयुक्त खातेदार हक से दर्ज रिकार्ड है। आ.न. 666मी., 667मी. व 671मी. वर्तमान मे किस्म कमशः बारानी, चाही व बझड दर्ज रिकार्ड जिसे वादी किस्म रास्ता दर्ज कराना चाहते है सहमति विभाजन वर्ष 2010 मे वादी व प्रतिवादीगण द्वारा करवाया गया है। वादी उक्त सामलाती भूमि की किस्म रास्ता दर्ज कराना चाहते है। वर्तमान में उक्त आ.न. 666मी., 667मी. व 671 मी. मे रास्ते संबंधी विवाद होने व उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा रास्ता संकडा कर दिया जाना जाहिर आया है। सहमति विभाजन आपसी सहमति से नियमानुसार हुआ है। सहमति विभाजन मे किस्म परिवर्तन नही हो सकता है। उक्त आ.न. 666मी., 667मी. व 671 मी. वादी व प्रतिवादीगण द्वारा सामलाती रास्ता छोडा गया है जिसे किस्म रास्ता किया जाना उचित होगा।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि उक्त वर्णित कृषि भूमियो का वादी एवं प्रतिवादीगण वर्ष 2010 से आपसी सहमति से कराये

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

गये बंटवारे के अनुसार ही रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, किन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे किस्म रास्ता अंकन नही होने से प्रतिवादीगण आये दिन उक्त रास्ते की भूमि को बन्द कर देते है जिससे रास्ता अवरूद्ध हो जाता है एवं वादी अपने हिस्से मे आई कृषि भूमियो पर आने जाने से तथा उपयोग उपभोग करने से वंचित हो जाता है। उक्त वर्णित कृषि भूमिया संयुक्त शामलाती रास्ते की भूमियां है, तद्नुसार राजस्व रेकार्ड मे किस्म रास्ता अंकन किया जावें। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने से जाहिर है कि विवादित भूमि सहमति से विभाजन हुआ है। आपसी सहमति से कराये गये बंटवारे के अनुसार ही रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

## :: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का दस्तावेज के आधार पर साबित पाया जाने से स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम सिरोडी, पटवार हल्का सियाणा तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद के खाता संख्या नया 25 पुराना 33 के आराजी नम्बर 205मी., 666मी., 667मी., 671मी. कुल किता 04 रकबा 0.0850 हैक्टेयर संयुक्त शामलाती भूमि की किस्म रास्ता घोषित की जाती है तथा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड तथा नक्शा ट्रेस में अंकन किया जावें तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

**नोटः– तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन आराजी नम्बर मे यदि रकबा कम ज्यादा हुआ हो तो निर्णय मुताबिक पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।**

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **06.05.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) आमेट
## जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्दसिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 85 / 2024
किस्म :– वाद
दायर दिनांक : 02.08.2024

निर्णय दिनांक : 06.05.2025

उनवान

1. कालूसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपुत निवासी सिरोडी तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद

–:बनाम:–

1. अभयसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपुत
2. उगाकंवर पुत्री सरदारसिंह जाति राजपुत
3. कैलाशकंवर पुत्री सरदारसिंह जाति राजपुत
4. बाघसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपुत
5. भगवतसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपुत
6. मोरकंवर पुत्री सरदारसिंह जाति राजपुत
7. मोहरबाई पत्नी इन्द्रसिंह जाति राजपुत

सभी निवासीयान सिरोडी तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद प्रतिवादीगण

दावा :– वाद अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. 1955
**वादी की ओर से** :– अधिवक्ता सत्यनारायण व्यास
**प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से** :– अधिवक्ता संदीप वैष्णव
**प्रतिवादी संख्या 01,03,05,06,07 की ओर से:–** अधिवक्ता गोपाल शर्मा

**मे इस आशय में दिनांक** 06.05.2025 **की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि** वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का दस्तावेज के आधार पर साबित पाया जाने से स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम सिरोडी पटवार हल्का सियाणा तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद के खाता संख्या नया 25 पुराना 33 के आराजी नम्बर 205मी., 666मी., 667मी., 671मी. कुल किता 04 रकबा 0.0850 हैक्टेयर संयुक्त शामलाती भूमि की किस्म रास्ता घोषित की जाती है तथा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड तथा नक्शा ट्रेस में अंकन किया जावें तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता रहेगा।

आज दिनांक को 06.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

**नोट:– तहसील आमेट / सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय**

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

की पालना की जावें। नवीन आराजी नम्बर मे यदि रकबा कम ज्यादा हुआ हो तो निर्णय मुताबिक पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

(गोविन्द सिंह)
अतिरिक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

फर्द अहकाम

# न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आमेट जिला राजसमंद

प्रकरण : संख्याः– 85 / 2024

शीर्षकः– कालुसिंह बनाम अभयसिंह

| दिनांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर / सूचना नं. |
|---|---|---|
| 15.05.2025 | वादी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 06.05.25 को जो निर्णय पारित किया गया, पटवारी रिपोर्ट मे आराजी नम्बर 205मी. को छोडते हुये रिपोर्ट पेश की गयी किन्तु टंकन त्रुटि से निर्णत मे आराजी नम्बर 205मी. का भी अंकन हो गया तथा आराजी नम्बर 205मी. के सम्बन्ध मे प्रार्थी का वाद विलोपित कर दिया जावें तो वादी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः आराजी नम्बर 205मी. को विलोपित कर संशोधित निर्णय पारित किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर पत्रावली रिकॉर्ड से तलब की गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर है कि उक्त प्रकरण में निर्णय लिखते समय टंकण त्रुटि से आराजी नम्बर 205मी. लिखा गया, जबकि तहसीलदार सरदारगढ की रिपोर्ट मे उक्त आराजी का अंकन नही है एवं वादी ने भी उक्त आराजी नम्बर विलोपित करने की सहमति दी। अतः संशोधित निर्णय पारित करने का आदेश दिया जाता है। संशोधित निर्णय की प्रमाणित प्रति पालना हेतु तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली पुनः फैसल शुमार होकर पूर्व के फैसल कमांक पर रखी जावे।<br><br>(गोविन्द सिंह)<br>सहायक कलक्टर एवं<br>उपखण्ड अधिकारी आमेट<br>जिला राजसमन्द | |

संशोधित निर्णय अन्तर्गत धारा 152 सि.प्र.स. आदेशिका दिनांक 15.05.2025

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
# जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्दसिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 85 / 2024
किस्म :– वाद
दायर दिनांक : 02.08.2024

निर्णय दिनांक : 15.05.2025

उनवान

1. कालूसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपुत निवासी सिरोडी तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद

–:बनाम:–

1. अभयसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपुत
2. उगाकंवर पुत्री सरदारसिंह जाति राजपुत
3. कैलाशकंवर पुत्री सरदारसिंह जाति राजपुत
4. बाघसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपुत
5. भगवतसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपुत
6. मोरकंवर पुत्री सरदारसिंह जाति राजपुत
7. मोहरबाई पत्नी इन्द्रसिंह जाति राजपुत

सभी निवासीयान सिरोडी तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद प्रतिवादीगण

दावा :– वाद अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. 1955
**वादी की ओर से** :– **अधिवक्ता सत्यनारायण व्यास**
**प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से** :– **अधिवक्ता संदीप वैष्णव**
**प्रतिवादी संख्या 01,03,05,06,07 की ओर से:–** **अधिवक्ता गोपाल शर्मा**

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सिरोडी, पटवार हल्का सियाणा तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद के खाता संख्या नया 25 पुराना 33 के आराजी नम्बर 205मी., 666मी., 667मी., 671मी. कुल किता 04 रकबा 0.0850 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त शामलाती खातेदारी की कृषि भूमिया स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमियो के अलावा वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त शामलाती खातेदारी की अन्य कृषि भूमिया भी थी, जो वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा करा कर अपने अपने हिस्से मे आई भूमियो को अपने अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड मे अंकन करा दिया है। उक्त आपसी सहमति विभाजन वर्ष 2010 में किया गया था, तब से वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक, हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति से वर्ष 2010 में बंटवारा कराया गया था उस समय वाद

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

उक्त वर्णित कृषि भूमियो को रास्ते के लिए संयुक्त रूप से छोडा गया था तथा उक्त विभाजन के अनुसार उक्त वर्णित कृषि भूमियो को राजस्व रेकार्ड मे किस्म रास्ते के रूप अंकन करना था, जिस हेतु वादी एवं प्रतिवादीगण भी पूर्णरूप से सहमत थे, किन्तु वाद उक्त वर्णित कृषि भूमियो की किस्म रास्ता अंकन नही होने से एवं उक्त भूमियो संयुक्त, शामलाती रूप से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज रह गई। उक्त वर्णित कृषि भूमियो का वादी एवं प्रतिवादीगण वर्ष 2010 से आपसी सहमति से कराये गये बंटवारे के अनुसार ही रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, किन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे किस्म रास्ता अंकन नही होने से प्रतिवादीगण आये दिन उक्त रास्ते की भूमि को बन्द कर देते है जिससे रास्ता अवरूद्ध हो जाता है एवं वादी अपने हिस्से मे आई कृषि भूमियो पर आने जाने से तथा उपयोग उपभोग करने से वंचित हो जाता है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 31.05.2024 को उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर बन्द कर दिया था जिस पर वादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी महोदय आमेट के यहां उक्त रास्ता खुलवाने के संबंध मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर पटवार हल्का सियाणा द्वारा पर्चा मौका बनाया गया एवं उक्त पर्चे मौके मे भी वाद पत्र की पेरा संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि का उपयोग रास्ते के रूप होना अंकन किया गया है। वर्ष 2010 में आपसी सहमति से किये गये बंटवारे अनुसार वादग्रस्त भूमि की किस्म रास्ता अंकन किया जाना था, किन्तु त्रुटीवश उक्त भूमि को रास्ते के रूप में अंकन नही किया गया एवं उक्त भूमि को वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त रूप से खातेदारी मे रख दी गई, जब कि उक्त भूमि का उपयोग उपभोग रास्ते के रूप मे ही किया जा रहा है। मात्र राजस्व रेकार्ड मे संयुक्त शामलाती रूप से अंकन होने से एवं किस्त रास्ता दर्ज नही होने से प्रतिवादीगण आये दिन रास्ता अवरूद्ध कर बन्द कर देते है, इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणात्मक डिकी प्रचलित फरमाया जाना आवश्यक हो गया है कि उक्त वर्णित भूमियां शामलाती रास्ते की भूमि है, तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे किस्म रास्ता का अंकन किया जावे। वाद हेतुक दिनांक 31.05.2024 को जब प्रतिवादीगण द्वारा उक्त शामलाती रास्ते की भूमियो अवरूद्ध कर रास्ता बन्द करने से उत्पन्न होकर लगातार जारी है। वादग्रस्त भूमियां ग्राम सिरोडी पटवार हल्का सियाणा तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद मे स्थित होने से वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार आप न्यायालय को प्राप्त है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर घोषणा की डिकी प्रचलित फरमाई जावे कि उक्त वर्णित कृषि भूमिया संयुक्त शामलाती रास्ते की भूमियां है, तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे किस्म रास्ता अंकन किया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01, 03, 05, 06, 07 की तरफ से अधिवक्ता गोपाल शर्मा एवं प्रतिवादी संख्या 04 की तरफ से अधिवक्ता संदीप वैष्णव ने वकालत नामा पेश किया। दिनांक 25.02.2025 को वादी अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध कार्यवाही नही चाहने बाबत् आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रतिवादी संख्या 02 के

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी। प्रतिवादी संख्या 04 के अधिवक्ता ने आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा वाद में घोषणा एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन कि दाद चाही गई है, जब कि वादग्रस्त भुमिया शामलसती होकर वेध रुप से खातेदारों के मध्य बंटवारा नही हुआ है, जब तक वादग्रस्त भुमियों का नियमनानुसार बंटवारा होकर अलग अलग खाते इर्ज नही हो जाती है तब कि उक्त भुमियो के सम्बन्ध मे घोषणा का वाद पेश नही किया जा सकता। इसलिए वादी का वाद चलने योग्य नही है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रतिवादगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावें। वादी अधिवक्ता ने आदेश 07 नियम 11 प्रार्थना पत्र का जवाब नही देकर सीधी बहस की। दोनो पक्षो के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दोनो पक्षों के अधिवक्तागण की बहस में दिए गए उजरात व प्रस्तुत न्यायिक दलिलों पर मनन किया गया। वादी ने घोषणा हेतु उक्त वाद पेश किया है। आदेश 07 नियम 11 (वाद पत्र का नामंजूर किया जाना) में प्रावधान इस प्रकार है–

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है,

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने मे असफल रहता है,

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है, किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने मे असफल रहता है,

(घ) जहां वाद पत्र मे के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

(ड़) जहां यह दो प्रतियो मे फाइल नही किया जाता है,

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबंधो का अनुपालन करने मे असफल रहता है।

अतः प्रतिवादी संख्या 04 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 07 नियम 11 के उक्त बिन्दुओं के अधीन नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नही करने पर जवाब प्रतिवादी बन्द किया गया। तहसीलदार सरदारगढ ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम पर संयुक्त खातेदार हक से दर्ज रिकार्ड है। आ.न. 666मी., 667मी. व 671मी. वर्तमान मे किस्म कमशः बारानी, चाही व बझड दर्ज रिकार्ड जिसे वादी किस्म रास्ता दर्ज कराना चाहते है सहमति विभाजन वर्ष 2010 मे वादी व प्रतिवादीगण द्वारा करवाया गया है। वादी उक्त सामलाती भूमि की किस्म रास्ता दर्ज कराना चाहते है। वर्तमान में उक्त आ.न. 666मी., 667मी. व 671 मी. मे रास्ते संबंधी विवाद होने व उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा रास्ता संकडा कर दिया जाना जाहिर आया है। सहमति विभाजन आपसी सहमति से नियमानुसार हुआ है। सहमति विभाजन मे किस्म परिवर्तन नही हो सकता है। उक्त आ.न. 666मी., 667मी. व 671 मी. वादी व प्रतिवादीगण द्वारा सामलाती रास्ता छोडा गया है जिसे किस्म रास्ता किया जाना उचित होगा।

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि उक्त वर्णित कृषि भूमियो का वादी एवं प्रतिवादीगण वर्ष 2010 से आपसी सहमति से कराये गये बंटवारे के अनुसार ही रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, किन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे किस्म रास्ता अंकन नही होने से प्रतिवादीगण आये दिन उक्त रास्ते की भूमि को बन्द कर देते है जिससे रास्ता अवरूद्ध हो जाता है एवं वादी अपने हिस्से मे आई कृषि भूमियो पर आने जाने से तथा उपयोग उपभोग करने से वंचित हो जाता है। उक्त वर्णित कृषि भूमिया संयुक्त शामलाती रास्ते की भूमियां है, तद्नुसार राजस्व रेकार्ड मे किस्म रास्ता अंकन किया जावें। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने से जाहिर है कि विवादित भूमि सहमति से विभाजन हुआ है। आपसी सहमति से कराये गये बंटवारे के अनुसार ही रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

## :: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का दस्तावेज के आधार पर साबित पाया जाने से स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम सिरोडी, पटवार हल्का सियाणा तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद के खाता संख्या नया 25 पुराना 33 के आराजी नम्बर 666मी., 667मी., 671मी. कुल किता 03 रकबा 0.0350 हैक्टेयर संयुक्त शामलाती भूमि की किस्म रास्ता घोषित की जाती है तथा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड तथा नक्शा ट्रेस में अंकन किया जावें तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

**नोटः– तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन आराजी नम्बर मे यदि रकबा कम ज्यादा हुआ हो तो निर्णय मुताबिक पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।**

(गोविन्द सिंह)
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **15.05.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह)
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

संशोधित डिक्री अन्तर्गत धारा 152 सि.प्र.स. आदेशिका दिनांक 15.05.2025
मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) आमेट
## जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्दसिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 85 / 2024
किस्म :– वाद
दायर दिनांक : 02.08.2024

निर्णय दिनांक : 15.05.2025

उनवान

1. कालूसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपुत निवासी सिरोडी तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद

–:बनाम:–

1. अभयसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपुत
2. उगाकंवर पुत्री सरदारसिंह जाति राजपुत
3. कैलाशकंवर पुत्री सरदारसिंह जाति राजपुत
4. बाघसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपुत
5. भगवतसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपुत
6. मोरकंवर पुत्री सरदारसिंह जाति राजपुत
7. मोहरबाई पत्नी इन्द्रसिंह जाति राजपुत

सभी निवासीयान सिरोडी तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद प्रतिवादीगण

दावा :– वाद अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. 1955
**वादी की ओर से :– अधिवक्ता सत्यनारायण व्यास**
**प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से :– अधिवक्ता संदीप वैष्णव**
**प्रतिवादी संख्या 01,03,05,06,07 की ओर से:– अधिवक्ता गोपाल शर्मा**

**मे इस आशय में दिनांक 15.05.2025 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि** वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का दस्तावेज के आधार पर साबित पाया जाने से स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम सिरोडी पटवार हल्का सियाणा तहसील सरदारगढ जिला राजसमंद के खाता संख्या नया 25 पुराना 33 के आराजी नम्बर 666मी., 667मी., 671मी. कुल किता 03 रकबा 0.0350 हैक्टेयर संयुक्त शामलाती भूमि की किस्म रास्ता घोषित की जाती है तथा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड तथा नक्शा ट्रेस में अंकन किया जावें तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता रहेगा।

आज दिनांक को 15.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

नोटः- तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे-रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन आराजी नम्बर मे यदि रकबा कम ज्यादा हुआ हो तो निर्णय मुताबिक पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)